

राजस्थान RSS समूह द्वारा CAA पात्रता प्रमाण-पत्र वितरण

चर्चा में क्यों?

राजस्थान में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा एक [समूह नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019 \(CAA\)](#) के तहत नागरिकता के लिये आवेदन करने में मदद करने हेतु शिविरों का आयोजन कर रहा है और पाकस्तान से आए हदू समुदाय के सदस्यों को "पात्रता प्रमाण-पत्र" जारी कर रहा है।

मुख्य बटु:

- सीमाजन कल्याण समति नामक समूह, जो पाकस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों में सक्रिय है, ने राजस्थान के जैसलमेर, बाडुमेर और जोधपुर के लगभग 330 लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए नागरिकता पोर्टल पर अपने दस्तावेज़ अपलोड करने में मदद की है।
- CAA पाकस्तान, अफगानस्तान और बांग्लादेश के छह "उत्पीडित" गैर-मुसलमि समुदायों के सदस्यों को नागरिकता प्रदान करता है।
- प्रमाण-पत्र, "स्थानीय रूप से प्रतषिठित सामुदायिक संस्थान" द्वारा जारी किये जाने वाला एक अनविरय दस्तावेज़ है, जसि एक हलफनामे के साथ संलग्न किये जाने हैं और अन्य दस्तावेज़ों के साथ CAA पोर्टल पर अपलोड किये जाने हैं।
- यह ध्यान दिये जाने चाहिये कि चूँकि पाकस्तानी हदू तीर्थयात्री या पर्यटक वीज़ा पर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश करते थे, इसलिये वे नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 6 के तहत नागरिकता के लिये पात्र थे।
- CAA का इरादा पश्चिमि बंगाल में अनुसूचित जाति समुदाय मतुआओं को लाभ पहुँचाने का भी है, जो वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान और उसके बाद बांग्लादेश से आए थे।

समूह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

- परचिय**
 - CAA पाकस्तान, अफगानस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुसलमि समुदायों (हदू, सखि, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जनिहोंने 31 दसिंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किये था।
 - यह अधिनियम इन छह समुदायों के सदस्यों को [वदिशी अधिनियम, 1946](#) और [पासपोरट अधिनियम, 1920](#) के तहत कसिी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
 - दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीज़ा या परमटि के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिये दंड नरिदषिट करते हैं।
- नयिम**
 - CAA नयिम 2024:** नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B CAA के अंतगत नागरिकता के लिये आवेदन प्रक्रिया का आधार है। भारतीय नागरिकता हेतु पात्र होने के लिये आवेदक को अपनी राष्ट्रीयता, धर्म, भारत में प्रवेश की तथि एवं भारतीय भाषाओं में से कसिी एक में दक्षता का प्रमाण देना होगा।
 - मूल देश का प्रमाण:** लचीली आवश्यकताएँ वभिन्न दस्तावेज़ों की अनुमति देती हैं, जनिमें जन्म अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान दस्तावेज़, लाइसेंस, भूमरिक्ॉर्ड अथवा उल्लिखित देशों की नागरिकता सदिध करने वाला कोई भी दस्तावेज़ शामिल है।
 - भारत में प्रवेश की तथि:** आवेदक भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 अलग-अलग दस्तावेज़ प्रदान कर सकते हैं, जनिमें वीज़ा, आवासीय परमटि, जनगणना पर्चियाँ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी अथवा न्यायालयी पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र और बहुत कुछ शामिल हैं।

मतुआ समुदाय

- मूल रूप से पूर्वी पाकस्तान के रहने वाले मतुआ वभिजन के दौरान और बांग्लादेश के नरिमाण के बाद भारत आ गए। हालाँकि, अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को भारतीय नागरिकता मिलनी बाकी है।
- मतुआ महासंघ एक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जसिकी शुरुआत 1860 ई. के आस-पास हरचिंद ठाकुर द्वारा वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर प्रांत के गोपालगंज में पीडितों के उत्थान के लिये की गई थी।
 - उन्होंने जाति, वर्ग और पंथ से परे प्रेम, सहषिणुता, लैंगिक समानता एवं गैर-भेदभाव का प्रचार किये।
- शुरुआत में मतुआ-महासंघ ने सरलीकृत अनुष्ठानों का पालन किये, लेकिन बाद में **वैषणववाद** को अपनाया।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rajasthan-rss-group-issues-cao-eligibility-certificates>

